कि.तारां.प्र.क्र.12 प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट परिशिष्ट – एक

[24/3/2025]

:: कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग–उज्जैन ::

क्रमांक/सतर्कता/उज्जैन/2024/523 उज्जैन, दिनांक :– 07/08/2024

प्रश्न सं. [क्र. 12]

प्रति,

आयुक्त,

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश,

भोपाल

विषय :– विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 145 दिनांक 18.07.2024 के भाग–ग की जांच कर जांच प्रतिवेदन के संबंध में ।

:::9:::

उपरोक्त विषय के अनुक्रम में लेख हैं कि विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 145 दिनांक 18.07.2024 के भाग–ग की जांच कर जांच प्रतिवेदन के संबंध में निर्देशित किया गया था । इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन से प्रकरण से संबंधित जानकारी चाही गई । उक्त प्रकरण की जांच हेतु कार्यालय स्तर पर समिति गठित की गई । गठित समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :–

1– माननीय अध्यक्ष कमला कुँवर अंतरसिंह देवडा के पत्र क्रमांक 03 दिनांक 09.08.2022 से कलेक्टर, जिला उज्जैन को श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी, सहायक समन्वयक, नवभारत साक्षरता, जिला उज्जैन को निज सहायक के रूप में कार्य नियुक्त का आदेश जारी अवगत कराने हेतु लेख किया गया ।

2– कलेक्टर, जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक/स्था–1/2022/6447 उज्जैन, दिनांक 21.09.2022 से जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन से माननीय अध्यक्ष कमला कुँवर अंतरसिंह देवडा, जिला पंचायत उज्जैन के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, सहायक समन्वयक, नवभारत साक्षरता, जिला शिक्षा केन्द्र जिला उज्जैन को निज सहायक नियुक्ति किये जाने का आदेश जारी कर लिपिकीय सेवाए चाही गई के संबंध में म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ ए 10–15/94/एक (1) दिनांक 19 मई 1995 की कंडिका 12 अनुसार उक्त कर्मचारी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही करने अथवा अभियोजन स्वीकृत करने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा तो नहीं लिया गया हैं एवं कंडिका 15 अनुसार संबंधित कर्मचारी की लिखित सहमति प्राप्त कर तत्काल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन द्वारा पत्र क्रमांक/स्था–1/2022/1369 उज्जैन, दिनांक 23.09.2022 से श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, सहायक समन्वयक, नवभारत साक्षरता, जिला शिक्षा केन्द्र जिला उज्जैन का सहमति का पत्र कलेक्टर, जिला उज्जैन को प्रेषित किया गया ।

3– जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन के आदेश क्र./स्था–1/2022/1381 दि. 27.09.2022 से श्री आशीष कुमार जोशी, प्राथमिक शिक्षक, ई.पी.एस., शास. मा. वि. गुराडिया गुर्जर, विकासखण्ड घटिया, संकुल केन्द्र शास. उ. मा. वि. बिछडोद, जिला उज्जैन में माननीय उपाध्यक्ष जिला

निरन्तर....02

अनुभाग अधिकारी

पंचायत उज्जैन एवं अध्यक्ष शिक्षा समिति जिला उज्जैन से जुडे विषयों, कार्य[मों, गतिविधियों की सुचारू संचालन कार्य में सहयोग हेतु संयोजित किया गया ।

4— कलेक्टर, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/स्था–1/2022/6724 उज्जैन, दिनांक 30.09. 2022 से श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी, सहायक समन्वयक, नवभारत साक्षरता जिला शिक्षा केन्द्र, जिला उज्जैन को लिपिकीय कार्य हेतु माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती कमला कुवंर–अन्तरसिंह देवडा, जिला पंचायत, उज्जैन को सेवाऐं सोपी गई । उक्त आदेश में संशोधन कलेक्टर, जिला उज्जैन के संशोधित आदेश क्रमांक/स्था–1/2022/शिक्षा/04/332 दिनांक 27.02.2023 द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी, सहायक समन्वयक, मूलपद माध्यमिक शिक्षक, शास. हाईस्कूल नयापुरा क्र–2, उज्जैन संकुल केन्द्र शास. क. उ. मा. वि. धानमण्डी, उज्जैन संशोधित किया गया ।

5— उक्त दोनों प्रकरणों में उक्त प्रश्न के "क" एवं "ख" भाग में उल्लेखित नियमों का एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के अध्याय 4 के नियम 27 में स्पष्ट उल्लेख हैं कि "गैर शैक्षणिक प्रायोजनों के लिये शिक्षकों अन्य कार्य हेतु उपायोजित किये जाने पर प्रतिषेद–किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत, कर्तव्यों से भिन्न किसी भी गैर शैक्षणिक प्रयोजनो के लिये नहीं किया जावेगा ।

6— म. प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 6–2/2012/एफ/9/ भोपाल दिनांक 25.06.2016 तथा लोक शिक्षण म. प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था–3/सी/2/196/2019/2133 भोपाल, दिनांक 22.07.2024 से शिक्षकों का आसंजन नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, किसी भी प्रकार से किये शिक्षकों के आसंचन समाप्त किये जाऐंगे ।

7— म. प्र. सामान्य पुस्तक परिपत्र की पुस्तिका में गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों को उनकी मूल पदस्थापना पर भेजने के निर्देश दिये गये, इसमें बिन्दु क्र.–2 में जनप्रतिनिधियों के पास अथवा विद्यालय से अन्यत्र शासन नियमों के विरूद्व कार्य कर रहे शिक्षकों तत्काल मूल विभाग में भेजने के निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त शासन परिपत्र से स्पष्ट हैं कि कलेक्टर, जिला उज्जैन एवं जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला उज्जैन द्वारा शिक्षक श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी, सहायक समन्वयक, नवभारत साक्षरता जिला शिक्षा केन्द्र,
जिला उज्जैन को लिपिकीय कार्य हेतु माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती कमला कुवंर–अन्तरसिंह देवडा,
जिला पंचायत, उज्जैन को सेवाऐं देने एवं श्री आशीष कुमार जोशी, प्राथमिक शिक्षक, ई. पी. एस., शास. मा.
वि. गुराडिया गुर्जर, विकासखण्ड घटिया, संकुल केन्द्र शास. उ. मा. वि. बिछडोद, जिला उज्जैन में माननीय
उपाध्यक्ष जिला पंचायत उज्जैन एवं अध्यक्ष शिक्षा समिति जिला उज्जैन से जुडे विषयों, कार्यकमों, गतिविधियों
की सुचारू संचालन कार्य में सहयोग हेतु संयोजित किया गया । उक्त शिक्षकों के संयोजन में कलेक्टर,
जिला उज्जैन एवं जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा शासन निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं ।

अतः श्रीमान की ओर प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत हैं ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

संयुक्त संचालक